



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 20, 2009/श्रावण 29, 1931

No. 146]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 20, 2009/SRAVANA 29, 1931

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2009

भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (उत्पादन लागत का अवधारण) विनियम, 2009

(2009 का सं. 6)

सं. एल-3(5)/विनियम-लागत/2009-10/सीसीआई.—भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 64 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. -

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (उत्पादन लागत का अवधारण) विनियम, 2009 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं. -

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) अभिप्रेत है ;

(ख) “औसत परिवर्ती लागत” से निर्दिष्ट अवधि के दौरान कुल आउटपुट से विभाजित कुल परिवर्ती लागत अभिप्रेत है ;

(ग) विनियम 3 में यथाप्रयुक्त “लागत” और उसकी विमाओं से निम्नलिखित संदर्भ लिया जा सकेगा :

i. “कुल लागत” से उत्पादन की वास्तविक लागत अभिप्रेत है जिसमें उपभोग की गई सामग्री की लागत, प्रत्यक्ष मजदूरी और वेतन, प्रत्यक्ष व्यय, संकर्म उपरिशीर्ष,

गुणवत्ता नियंत्रण लागत, अनुसंधान और विकास लागत, पैकेजिंग लागत, निर्दिष्ट अवधि के दौरान उत्पाद हेतु वित्त और प्रशासनिक उपरिशीर्ष जैसी मदें सम्मिलित हैं ;

- ii. “कुल परिवर्ती लागत” से खंड (i) में निर्दिष्ट ऐसी कुल लागत अभिप्रेत है जिसमें से नियत लागत और निर्दिष्ट अवधि के दौरान नियत उपरिशीर्ष, यदि कोई हों, के अंश को घटा दिया गया है ;
- iii. “कुल परिहार्य लागत” से ऐसी लागत अभिप्रेत है, जिससे उस समय बचा जा सकता था यदि उद्यम में निर्दिष्ट अवधि के दौरान अतिरिक्त आउटपुट की मात्रा का उत्पादन नहीं किया होता ;
- iv. “औसत परिहार्य लागत” से ऐसी कुल परिहार्य लागत अभिप्रेत है, जिसे ‘कुल परिहार्य लागत’ के आकलन के लिए विचार में ली गई कुल आउटपुट से विभाजित किया गया है ;
- v. “दीर्घ कालिक औसत परिवृद्धि लागत” जहां दीर्घ कालिक लागत में पूंजी और प्रचालन, दोनों प्रकार की लागतें सम्मिलित हैं वहां उत्पाद की किसी अतिरिक्त इकाई के मद्दे दीर्घ कालिक औसत लागत की परिवृद्धि है ;
- vi. “बाजार मूल्य” से वह प्रतिफल अभिप्रेत है जिसे कोई ग्राहक किसी ऐसे उत्पाद के लिए संदाय करता है या संदाय करने का करार करता है, जो, यथास्थिति, उसे विक्रय किया गया है या उपलब्ध कराया गया है या उसे विक्रय या उपलब्ध कराया जा सकता है ;

(घ) “आयोग” से अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग अभिप्रेत है ;

(ङ) “उत्पाद” से अधिनियम में यथापरिभाषित, यथास्थिति, माल या सेवाएं अभिप्रेत है ;

(च) “सीमांत लागत” कुल लागत में ऐसा परिवर्तन है जो उस समय उदभूत होता है जब उत्पादित मात्रा में एक यूनिट का परिवर्तन होता है ।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्दों और पदों का, जो परिभाषित नहीं हैं क्रमशः वही अर्थ होगा, जो उनका, यथास्थिति, अधिनियम या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में है ।

3. लागत का अवधारण. -

(1) अधिनियम की धारा 4 के स्पष्टीकरण में “लागत” को साधारणतः सीमांत लागत के लिए परोक्षी के रूप में औसत परिवर्ती लागत के रूप में संगणित किया जाएगा :

परंतु यह कि विनिर्दिष्ट मामलों में, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से आयोग, उद्योग, बाजार और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी की प्रकृति पर निर्भर करते हुए किसी अन्य सुसंगत लागत अवधारणा को विचार में ले सकेगा जैसे कि परिहार्य लागत, दीर्घकालिक औसत परिवृद्धि लागत, बाजार मूल्य आदि ।

(2) लागत के आंकड़ों की संगणना करने के लिए आयोग/महानिदेशक समुचित विशेषज्ञों की सहायता ले सकेगा ।

4. विशेषज्ञों का नियोजन.-

जहां कोई उद्यम, विनियम 3 के अधीन आयोग द्वारा अवधारित लागत के संबंध में कोई विवाद उठाता है, वहां वह लिखित में प्रस्तुत किए जाने वाले कारणों से आयोग को लागत के अवधारण के लिए विशेषज्ञ नियुक्त करने का अनुरोध कर सकेगा। उद्यम द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करने के पश्चात् आयोग, यदि वह ऐसा विनिश्चय करता है तो वह उसे लागत के अवधारण में समर्थ बनाने के लिए अनुरोध करने वाले उद्यम की लागत पर अपनी पसंद के विशेषज्ञ (विशेषज्ञों) की नियुक्ति कर सकेगा।

5. गोपनीय व्यवहार के लिए अनुरोध.-

यथास्थिति, आयोग या महानिदेशक को दस्तावेजों की गोपनीयता के लिए प्रस्तुत किसी अनुरोध पर भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (साधारण) विनियम, 2009 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार सम्यक् रूप से विचार किया जाएगा।

6. कठिनाई का निवारण. -

ऐसी किसी परिस्थिति में, जिसके लिए अधिनियम, नियमों या इन विनियमों में उपबंध या निर्वचन नहीं किया गया है, लागत के अवधारण की प्रक्रिया आयोग द्वारा अवधारित की जाएगी।

एस. एल. बंकर, सचिव

[विज्ञापन III/4/187-एम/09/असा.]

THE COMPETITION COMMISSION OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th August, 2009

The Competition Commission of India (Determination of Cost of Production) Regulations, 2009

(No. 6 of 2009)

No. L-3(5)/Reg-Cost/2009-10/CCI.—In exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 64 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Competition Commission of India hereby makes the following Regulations, namely :—

1. Short title and commencement. -

- (1) These regulations may be called the Competition Commission of India (Determination of Cost of Production) Regulations, 2009.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires -

- (a) "Act" means the Competition Act, 2002 (12 of 2003);
- (b) "average variable cost" means total variable cost divided by total output during the referred period ;
- (c) "Cost" as used in Regulation 3 and its derivation may have reference to :
 - i. "total cost" means the actual cost of production including items, such as cost of material consumed, direct wages and salaries, direct expenses, work overheads, quality control cost, research and development cost, packaging cost, finance and administrative overheads attributable to the product during the referred period ;
 - ii. "total variable cost" means the total cost referred to in clause (i) minus the fixed cost and share of fixed overheads, if any, during the referred period;
 - iii. "total avoidable cost" means the cost that could have been avoided if the

- enterprise had not produced the quantity of extra output during the referred period;
- iv. "average avoidable cost" is the total avoidable cost divided by the total output considered for estimating 'total avoidable cost';
 - v. long run average incremental cost" is the increment to long run average cost on account of an additional unit of product, where long run cost includes both capital and operating costs;
 - vi. "market value" means the consideration which the customer pays or agrees to pay for a product which is sold or provided or can be sold or provided, as the case may be;
- (d) "Commission" means the Competition Commission of India established under sub-section (1) of section 7 of the Act;
 - (e) "product" means the goods or services, as the case may be, as defined in the Act;
 - (f) 'marginal cost' is the change in total cost that arises when the quantity produced changes by one unit.
- (2) Words and expressions used but not defined in these regulations shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act or the Companies Act, 1956 (1 of 1956), as the case may be.

3. Determination of cost. —

- (1) "Cost" in the Explanation to section 4 of the Act shall, generally, be taken as average variable cost, as a proxy for marginal cost:

Provided that in specific cases, for reasons to be recorded in writing, the Commission may, depending on the nature of the industry, market and technology used, consider any other relevant cost concept such as avoidable cost, long run average incremental cost, market value.

- (2) In arriving at the figures of costs, the Commission /Director General may take the help of suitable experts.

4. Engagement of experts. —

Where an enterprise disputes the cost determined by the Commission under regulation 3, it may, for reasons to be submitted in writing, request the Commission to appoint expert (s) for determining the cost. On consideration of the request made by an enterprise, the Commission may, if it so decides, appoint expert(s) of its choice, at the cost of the enterprise making the request, to enable it to determine the cost.

5. Request for confidentiality. —

Any request for confidentiality of the documents submitted to the Commission or the Director General, as the case may be, shall be duly considered in accordance with the procedure laid down in the Competition Commission of India (General) Regulations, 2009.

6. Removal of difficulty. —

In a situation not provided for in the Act, rules or these regulations or in the matter of their interpretation, the procedure for determining the cost shall be determined by the Commission.

S. L. BUNKER, Secy.

[ADV T III/4/187-M/09/Exty.]